हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
/4/26	पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी वकील अनुपस्थित। उक्त पत्रावली में मूलवाद खारिज होने से उक्त प्रार्थनापत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर पत्रावली नंबर से खारिज होकर दफ्तर दाखिल हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम
नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

उनवान

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सलीम खान पुत्र रहीम 2. अदरमान पुत्र रहीम 3. आदमखान पुत्र रहीम 4. हेजमखान पुत्र रहीम 5. मुरादी पत्नि रहीम 6. रहमान पुत्र नुरा 7. खाना पत्नि रहमान जाति मुसलमान निवासी बुठिया तहसील रामसर।		1. अमीन पुत्र बाबला 2. ईशाक उर्फ रसुल पुत्र बाबला 3. जामा पत्नि बाबला 4. इकबाल पुत्र बक्सा 5. हसण पुत्र बक्सा 6. जावेद पुत्र बक्सा नाबालिग 7. (जरिये कुदरती वली माता खातु पत्नि बक्सा जाति मुसलमान)निवासी बुठिया तहसील रामसर। 8. खातू पत्नि बक्सा 9. कासम पुत्र हकीम 10. रोशन पुत्र हकीम 11. शकुर पुत्र हकीम 12. मेहिब पुत्र हकीम 13. धीया पत्नि हकीम 14. मीरू पुत्र होथी 15. जामीन पुत्र होथी। 16. जगू पुत्र होथी 17. रमदान पुत्र होथी 18. मुरादी पत्नि होथी जाति मुसलमान निवासी बुठिया तहसील रामसर। 19. तहसीलदार रामसर। 20. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक बाड़मेर। 21. शाखा प्रबन्धक स.मु.व बैंक बालोतरा।

राजस्व आवेदन 253/2025 दिनांक 17.09.2025 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व. तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.09.2025	प्रार्थीगण के वकील श्री सुनील के मेराजा ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिंनाक 17.09.2025 को पेश किया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेंशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि कि तहसील रामसर के राजस्व ग्राम मौजा **बुठिया पटवार हल्का बुठिया** के खेत खसरा संख्या 157 रकबा 1.3112 हेक्टयर, भूमि पर मौके एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने नया निर्माण नही करने तथा प्रार्थी के [illegible] में दखलंदाजी नहीं करने के [illegible] है। [illegible] आगामी पेशी तारीख जारी [illegible] पत्रावली आइन्दा आशय का स्थगन आगामी [illegible] से नोटिस [illegible] विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड [illegible] दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामसर	
17/10/25	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। [illegible] पत्रावली स्थगन आवेदन की [illegible] 29/11/25 को पेश हो। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner